न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. पुरखाराम पुत्र बुधाराम
2. गंगाराम पुत्र बींजाराम
3. लिक्षमणाराम पुत्र जेताराम
4. भवराराम पुत्र जेताराम
5. मेहाराम पुत्र गिरधारीराम
6. जुगताराम पुत्र गिरधारीराम
7. खेमाराम पुत्र बींजाराम
8. आईदानराम पुत्र खरथाराम

जातियान जाट निवासीयान लापला कोसरिया तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.बागाराम पुत्र पीराराम जाति जाट निवासी लापला कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर

2.श्रीमान तहसीलदार बायतु

3.शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा बायतु

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2018 बअनवान बागाराम बनाम लिछमणाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10. 2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 05.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/उतरदाता संख्या 01 एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 अपीलांटगण के पूर्व पुरूष पीराराम के वंशज है जो हिन्दु विधि से शासित है। उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा लापला हल्का पटवार क्षेत्र कोसरिया तहसील बायतु में खेत खसरा संख्या 632 रकबा 01.00 बीघा, खसरा संख्या 633 रकबा 514 बीघा कुल रकबा 515 बीघा आई हुई है। अपीलाधीन आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 03 व 04 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 05 व 06 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 व 08 प्रत्येक का

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

1/6–1/6 हिस्सा है। उक्त अपीलाधीन पैतृक भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा है परन्तु राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 हिस्से उक्त वर्णितानुसार खोल कर अलग–अलग दर्ज नहीं होने से वादी अपना 1/6 हिस्सा अलग घोषित करवाने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर तामील कुनिदा द्वारा कभी भी व्यक्तिगत तामील या आबाद मकान पर कोई सम्मन चस्पा नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया वो एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवयना नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम हस्तगत प्रकरण में जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। आज से 04–05 दिन पूर्व तब उतरदाता आलोच्य निर्णय व डिक्री की आड़ में जब अपीलांटगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलदांजी व हस्तक्षेप करने लगा व अपीलांटगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास करने लगे तब अपीलांटगण को अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री की प्रमाणित नकले दिनांक 05.01.2021 को मांगी जो तैयार होकर उसी दिन प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेष करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निरतारण तकनीकी विंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निरतारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण के नोटिस अपीलांट को व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.08.2020 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही साबित कर देता है कि <u>तहसीलदार स्वयं</u> द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व विभाजन प्रस्ताव पर केवल प्रति हस्ताक्षकर किये गये है। <u>तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए।</u> बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 49/2018 बअनवान बागाराम बनाम लिछमणाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय के आदेश की अक्षरस पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मौके पर उभयपक्षकारान के मध्य विवाद नहीं हो इसलिए वाद के निस्तारण मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय दो माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.09.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर